

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

हरलाल सिंह बनाम नगर सुधार न्यास
कदमा- दावा 342 / 2022

आज्ञा पत्र

22 पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री नानूराम बुडानियां ने न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। वाद-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहरीलदार सीकरको तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहरीर जारी करे। प्रतिवादीगण को जरिये समन से तलब किया जाकर पत्रावली आ.ता.पेशी दिनांक 31.01.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर
उपखण्ड अधिकारी सीकर

1/23 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीजीसीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/02/23 को पेश हो।

2/23 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24.4.23 को पेश हो।

4/23 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीजीसीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1/8/23 को पेश हो।

8/23 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23.11.23 को पेश हो।

11/23 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीजीसीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/12/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

28/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीजीसीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/12/23 को पेश हो।

स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण चारा 136 L-2 Act के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।

रिपोर्ट नदमीनाम दि. 29-9-23 के अनुसार प्रकरण स्वीकार किया जाकर चारा 136 L-2 Act के प्रावधानों के तहत प्रस्तावित किये जाने की प्रकृति प्रकरण को पुराने है। नदमीनाम जिला शरीफ को निर्दिष्ट किया जाता है कि इसी अधिसूचना संख्या 23/570 दि. 29-9-23 का अंश का भाग 2 देखें। प्रस्तावित केशव शर्मा को नामांकित करने का भी प्रावधान अथवा को अधिसूचना संख्या 23/570 दि. 29-9-23 का अंश का भाग 2 देखें।

उपखण्ड अधिकारी-सीकर